छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 657 / F-2017-04-00348 / वित्त / ब–4 / 2024 नवा रायपुर, दिनांक 07/03/2024

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः– वर्ष 2023–24 के विनियोग लेख तैयार करने हेतु पुनर्विनियोजन / समर्पण प्रस्ताव उपलब्ध कराने बाबत्।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विनियोग लेखे वर्ष 2023–24 के संकलन का कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए **पुनर्विनियोजन / समर्पण के प्रस्ताव 31 मार्च, 2024 तक स्वीकृत कर दिनांक 10 अप्रैल, 2024 तक महालेखाकार कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना है**। महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुनर्विनियोजन / समर्पण संबंधी गत वर्षो में प्राप्त प्रस्तावों में पाई गई निम्नलिखित विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है –

1. प्रायः पुनर्विनियोजन / समर्पण प्रस्ताव सचिव स्तर से स्वीकृत न किए जाकर कुछ विभाग प्रमुखों द्वारा सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं, जो कि एक नियमित प्रक्रिया नहीं है।
2. प्राप्त कुछ स्वीकृतियों में लेखे का पूर्ण विवरण यथा–आयोजना, आयोजनेत्तर, दत्तमत, भारित, मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, समूह शीर्ष, विस्तृत शीर्ष तथा उप विस्तृत शीर्ष तक के विवरण अंकित नहीं किए जा रहे हैं।
3. कुछ विभागों द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोजन / समर्पण अग्रेषण पत्र में कुल राशि (अंको एवं शब्दों में) तथा मांग संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, अपितु अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रपत्र के विवरण के आधार पर पुनर्विनियोजन / समर्पण स्वीकृति आदेश जारी किये गये थे।
4. महालेखाकार कार्यालय को भेजी गई कुछ स्वीकृतियों के साथ संलग्न पुनर्विनियोजन / समर्पण के विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में नहीं थे।
5. कुछ विभागों द्वारा समर्पण की स्वीकृतियों में उपशीर्ष स्तर पर किए गए आधिक्य की राशि को उसी शीर्ष के अन्य मद में बचत राशि से समायोजित किया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। समर्पण की स्वीकृतियों में उपशीर्ष के किसी उप विस्तृत शीर्ष में व्यय आधिक्य पाये जाने पर अन्य उप शीर्ष के अंतर्गत हुई बचत से समायोजित करते हुए निवल बचत राशि हेतु समर्पण स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।
6. कुछ पुनर्विनियोजन / समर्पण की स्वीकृतियों में आधिक्य / बचत के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2023–24 के पुनर्विनियोजन / समर्पण की स्वीकृतियों में आधिक्य / बचत के स्पष्ट एवं पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया जाए।
7. कुछ विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन द्वारा बड़ी मात्रा में निधियों का आवर्धन किया जाता है तथा इस निधि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए जाने के पश्चात शेष बचत राशि को अन्य योजना शीर्षो में पुनः पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है या समर्पण किया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। अतः केवल वास्तविक व्यय हेतु पुनर्विनियोजन प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएं।

8. कुछ स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी की गई थी, जिन्हें अमान्य कर निरस्त की गई। अतः 2023–24 के पुनर्विनियोजन/समर्पण की स्वीकृतियों को 31 मार्च 2024 तक जारी किया जाना सुनिश्चित हो।

9. कुछ विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति के पश्चात विनियोग लेख को अंतिम रूप दिए जाने तक कोई भी समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः 2023–24 के पुनर्विनियोजन/समर्पण की स्वीकृतिया निर्धारित समय तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो।

10. केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत उल्लेखित जिस उद्देश्य के लिए राशि प्रदान की गई है, को बिना केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के उस योजना के अन्य उद्देश्य के लिए पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकेगी।

11. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वापसी मुख्य शीर्ष "3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान" अथवा "3602–संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान" जैसा भी मामला हो, के नीचे एक लघु शीर्ष 'घटाएं'–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली (कोड–"913") के अंतर्गत समायोजित किया जायेगा।

12. स्वीकृतियां जारी करते समय निर्धारित पुनर्विनियोजन/समर्पण नियमों का विभागों द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण कुछ स्वीकृतियां अमान्य कर निरस्त करनी पड़ी।

13. वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 132/ब–1/चार/वित्त/2001, दिनांक 30 जनवरी 2001 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसारः–

(i) केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि का राज्यांश तक का पुनर्विनियोजन/समर्पण किया जा सकेगा।

(ii) केन्द्र प्रवर्तित एवं आंशिक रूप से बाह्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रावधानित राशि के लिए सहायता प्राप्त न हो सकने की स्थिति में केवल उन योजनाओं में राज्यांश की सीमा तक ही अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा।

(iii) केन्द्र क्षेत्रीय योजना "0801,0802,0803" एवं शत प्रतिशत बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं "1201,1202,1203" से कोई भी राशि अन्य योजनओं में पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकेगी।

14. उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग प्रमुख/बजट नियंत्रण अधिकारी कृपया पुनर्विनियोजन/समर्पण स्वीकृतियां जारी करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

(i) प्रत्येक मांग संख्या के लिए पृथक से स्वीकृतियां जारी करें।

(ii) पुनर्विनियोजन एवं समर्पण की स्वीकृतियां मांग संख्या अनुसार पृथक–पृथक जारी की जाए।

(iii) पुनर्विनियोजन एवं समर्पण की दत्तमत/भारित की स्वीकृतियां पृथक–पृथक जारी की जाए।

(iv) पुनर्विनियोजन किये जाने पर भी आधिक्य होने की दशा में समर्पण नहीं किया जाए।

(v) स्वीकृतियों में पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के स्पष्ट एवं पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(vi) 31 मार्च 2024 के पश्चात् की तिथि में किए गए पुनर्विनियोजन एवं समर्पण स्वीकृतियों को महालेखाकार कार्यालय द्वारा अमान्य किया जाएगा।

कृपया महालेखाकार द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप **पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 2024 तक अनिवार्यतः** उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

15. कृपया समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति पश्चात डी.डी.ओ. के बैंक खातों में बिना व्यय किए राशि जमा हो तो जानकारी संलग्न प्रारूप (Annexure-A) में महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 30.04.2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(शारदा वर्मा)
सचिव सह संचालक बजट
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 658 / F-2014-04-00348 / वित्त / ब–4 / 2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/03/2024

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके अर्द्ध. शासकीय पत्र क्रमांक / रिपोर्ट विनि.लेखे / 2023–24 / आर–01 / डी–72 दिनांक 29.01.2024 एवं पत्र क्रमांक आर–40 / विनि. लेखे / 2023–24 / DDO Bank/D-78 दिनांक 28.02.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़। कृपया पुनर्विनियोजन / समर्पण संबंधी स्वीकृतियॉ उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से स्वीकृत कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

06/03/2024

(निखिल कुमार अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

अनुलग्नक–1 (समर्पण हेतु प्रारूप)

(छत्तीसगढ़ शासन एवं विभाग का नाम..)

मांग संख्या एवं नाम ....

दत्तमत/भारित

(राशि रू. में)

बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2023–24 के लिए बजट					वर्ष के दौरान अन्य मद से प्राप्त पुनर्विनियोजन (+)	कुल योग (6)+(7)	वर्ष के दौरान अन्य मद में किया गया पुनर्विनियोजन (–)	कुल योग (8)–(9)	वर्ष 2023–24 के दौरान कुल व्यय	कुल योग (10)–(11)	बचत राशि	समर्पण हेतु राशि	समर्पण के कारण एवं अभ्युक्तियां
	मूल बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक	कुल बजट प्रावधान									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
मुख्य शीर्ष														
उप मुख्य शीर्ष														
लघु शीर्ष														
समूह शीर्ष														
योजना शीर्ष														
विस्तृत शीर्ष														
उप विस्तृत शीर्ष														
योग–योजना शीर्ष														

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुलग्नक–2 (पुनर्विनियोजन हेतु प्रारूप)

(छत्तीसगढ़ शासन एवं विभाग का नाम...)

मांग संख्या एवं नाम ....

दत्तमत / भारित

(राशि रू. में)

बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2023–24 के लिए बजट प्रावधान			दिसम्बर 2023 तक व्यय	जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक संभावित व्यय	पुनर्वि. हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	आधिक्य के कारण	बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2023–24 के लिए बजट प्रावधान				दिसम्बर 2023 तक व्यय	जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक संभावित व्यय	पुनर्वि. हेतु उपलब्ध राशि	बचत के कारण
	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान (I+II+III)	कुल बजट प्रावधान						मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान (I+II+III)	अन्य मद से प्राप्त किया गया पुनर्वि.	कुल बजट प्रावधान (10)+(11)+(12)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
मुख्य शीर्ष								मुख्य शीर्ष								
उप मुख्य शीर्ष								उप मुख्य शीर्ष								
लघु शीर्ष								लघु शीर्ष								
समूह शीर्ष								समूह शीर्ष								
योजना शीर्ष								योजना शीर्ष								
विस्तृत शीर्ष								विस्तृत शीर्ष								
उप विस्तृत शीर्ष								उप विस्तृत शीर्ष								
योग–योजना शीर्ष								योग–योजना शीर्ष								

हस्ताक्षर
पदनाम

Annexure-A

Sl. No.	Name of DDO	Grant No.	Major Head	Amount Transferred during 2023-24	Amount spent out of total amount transferred during 2023-24	Unspent amount as on 31st March, 2024
1	2	3	4	5	6	7